UPLL-01-002936-2022

न्यायालय ADJ /Spl Judge SC and ST, Lalitpur

पीठासीन अधिकारी- मो० बाबर खान, (HJS) -UP02742

Criminal Misc Case -744/2022

श्रीमती शारदा बनाम गजराम यादव आदि।

26.04.2023-

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये अपराध पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी है।

आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि करीब छः माह पूर्व गाँव का गजराम यादव, सियाराम अच्छा मजदूरी का काम दिलाने का झांसा देकर उसको अकेला ग्वालियर ले गया जहां पर ग्वालियर स्टेशन से करीब तीन चार किमी. की दूरी पर एक गली में कमरा लेकर रख दिया और गजराम यादव ने उसके साथ 15 दिन डरा धमकाकर बंधक बनाते हुए बुरा काम किया। सियाराम उसको ग्वालियर तक छोड़कर वापस आ गया था। उसके पति ने थाने में शिकायत की तो उक्त व्यक्ति ने उससे कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो उसके पति व उसके बच्चों को जान से मार देंगे। वह डर के कारण चुप रही। तभी से उक्त गजराम यादव व सियाराम लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहे है और डरा धमका रहे है और कह रहे है। गाँव में बदनामी कर देंगे। दिनांक 04.06.22 को समय करीब दस बजे रात्रि को दरवाजा खुलवाकर घर के अंदर आ गए और अवैध तमंचा का भय दिखाते हुए उसके साथ दोनों ने बारी-बारी बुरा काम (बलात्कार) किया। उसने लगातार शोषण (बलात्कार) होने से विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देकर भाग गए एवं भय दिखाकर बुरा काम करते रहे। उसने सारी घटना अपने पति व सास को बतायी जिस पर थाने पर रिपोर्ट की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उक्त लोगों द्वारा लगातार राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है और उसको गजराम यादव, जयहिन्दर, सोनसिंह, जयपाल, सियाराम व रामपाल के द्वारा गाली गलौच का जान से मारने की धमकी व मारपीट की जा रही है एवं इसी कृत्य में जयहिन्दर, सोनसिंह, जयपाल उक्त लोगों का सहयोग कर रहे है। रामपाल अपनी लाईसेंसी दोनानी

Digitally signed by MOHD BABAR KHAN
Date: 2023.04.28 16:50:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बंदूक से लगातार हत्या करने की धमकी देकर बुरा काम करने के लिये दबाव बना रहा है। वह काफी परेशान व भयभीत है। उसने घटना की सूचना संबंधित थाना, एसपी ललितपुर व अन्य उच्चाधिकारियों को जरिए डाक भेजी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

उक्त के सन्दर्भ में थाना कोतवाली जनपद ललितपुर से आख्या आहूत की गयी। थाना आख्यानुसार उक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

थाना आख्यानुसार उक्त घटना के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। उक्त प्रकरण में लैंगिंक संबंधित अपराध होने का कथन किया गया है। आवेदिका का कथन है कि विपक्षीगण द्वारा उसे काम दिलाने का झांसा देकर ग्वालियर ले जाया गया तथा उसे अनीति बंधन में रखकर उसके साथ बलात्कार किया गया और मारपीट व गाली गलौच करते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया और उसे व उसके परिजन को जान से मारने की धमकी दी गयी है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों से संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध अभियोजन पंजीकृत करके पुलिस के माध्यम से विवेचना कराया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं.प्र.सं. स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है। थाना कोतवाली जिला ललितपुर के प्रभारी निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदिका के प्रार्थनापत्र के तथ्यों के प्रकाश में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न्यायालय में अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रार्थनापत्र की एक प्रति संबंधित थाना भेजी जाय।

(मो० बाबर खान)
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति एवं अनु.जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधि. 1989/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,ललितपुर।